



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 327 राँची, शुक्रवार, 4 आषाढ़, 1943 (श०)
25 जून, 2021 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

20 अप्रैल, 2021

संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-)-1938--गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संलेख जापांक-1146, दिनांक-25.02.2021 में निहित प्रस्ताव पर दिनांक 25.02.2021 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-25 के रूप में झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों के सम्मानित करने हेतु आयोग के गठन का निर्णय लिया गया ।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के प्रस्तावों/प्रावधानों को विलोपित करते हुए निम्नवत् नीति का निरूपण किया जाता है:-
- (i) आयोग के नाम में से वनांचल शब्द को विलोपित करते हुए अब सिर्फ "झारखण्ड अलग राज्य बनाए जाने हेतु किये गए आंदोलन के आंदोलनकारियों को चिन्हित कर सम्मान/सुविधा-लाभ प्रदान किये जाने निमित्त बनाए गए आदेश" से जाना जाएगा ।
- (ii) आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग के सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

- (iii) आयोग का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। झारखण्ड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु पुनर्गठित आयोग आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।
- (iv) आंदोलनकारियों के आश्रितों की पहचान के संबंध में अंतिम निर्णय गृह विभाग के अधीन रहेगा।
- (v) पुलिस फायरिंग अथवा कारा में मृत या दिव्यांग हुए (40% से ज्यादा) आंदोलनकारी के आश्रित परिवार के एक सदस्य को निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप राज्य सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी ।
- (vi) राज्य सरकार द्वारा अन्य आंदोलनकारियों के मामले में एक आश्रित के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सरकारी नियुक्ति में 5% का क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक ही बार देय होगा ।

तदनुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सरकारी नियुक्ति में 05% का क्षैतिज आरक्षण देने के लिए झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण का प्रावधान से संबंधित "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित)" की धारा 4 (2) (क) को इस हद तक संशोधित करने की कार्यवाही संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा की जायेगी ।

- (vii) आश्रित के श्रेणी में संबंधित आंदोलनकारी की पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री/पुत्र की विधवा पत्नी/आंदोलनकारी महिला के पति/आंदोलनकारी के पौत्र/पौत्री आयेंगे ।
 - (viii) कारा में संसीमित आंदोलनकारियों को उनके जीवनकाल एवं मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को जीवनकाल तक सम्मान पेंशन निम्नरूपेण दिया जाएगा:-
 - (a) कारा में तीन माह से कम संसीमित रहने पर रू० 3,500/- (तीन हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह ।
 - (b) कारा में तीन माह से छः माह के बीच संसीमित रहने पर रू० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) प्रतिमाह ।
 - (c) कारा में छः माह से अधिक संसीमित रहने पर रू० 7,000/- (सात हजार रुपये) प्रतिमाह।
 - (ix) चिन्हित आंदोलनकारियों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।
3. यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव ।
